कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बारां,जिला बारां (राजस्थान)

क्रमांक 05 दिनांक 22-01-2020

–:: कार्यालय आदेश ::–

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 43 दिनांक 17.12.2019 द्वारा बारां न्यायिक क्षेत्र के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए दिनांक 25.01.2020 के राजकीय अवकाश हेतु श्रीमती कृष्णा गुप्ता अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू एवं दिनांक 21.02.2020 हेतु श्रीमती नीति वर्मा न्यायिक मजि. अन्ता को अधिकृत किया गया था। परंतु दिनांक 25.01.2020 को श्रीमती कृष्णा गुप्ता द्वारा मेडिकल अवकाश का प्रार्थना पत्र दिये जाने से पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पुनः आदेश जारी किया जाता है कि दिनांक 25.01.2020 को श्रीमती कृष्णा गुप्ता अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू के स्थान पर श्रीमती नीति वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्ता तथा दिनांक 21.02.2020 हेतु श्रीमती नीति वर्मा न्यायिक मजि. अन्ता के स्थान पर श्रीमती अम्बिका अति. न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां को बारां न्यायिक क्षैत्र के समस्त बेल/रिमाण्ड एवं अन्य आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है ।

नोटः– उपरोक्त के अलावा संबंधित थानाधिकारी अपने मूल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यदि वे अपने मुख्यालय पर मौजूद हैं, से भी रिमाण्ड आदि ले सकेगें ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बारां
जिला बारां (राजस्थान)

क्रमांक :– 112–115 दिनांक :– 22-01-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक, बारां को प्रेषित कर लेख है कि बारां जिले के समस्त आरक्षी केन्द्र के थानाधिकारियों को आदेश से सूचित करने का श्रम करें।
3. श्रीमती कृष्णा गुप्ता अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अटरू ।
3. श्रीमती नीति वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अन्ता।
4. श्रीमती अम्बिका, अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट,बारां
5. कोर्ट मैनेजर जिला न्यायालय, बारां को बारां न्याय क्षेत्र की Website-ecourts.gov.in/ baran पर इस आदेश को अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय प्रति ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,बारां
जिला बारां (राजस्थान)